गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

ntral University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)

क.485/भंडार/2011 **संक्षिप्त निविदा सूचना** बिलासपुर,दिनांक 09.12.2011

वर्ष 2011 के स्वर्ण मंडित पदक बनाने हेतु सीलबंद लिफाफे में संक्षिप्त निविदा परीक्षा विभाग में दिनांक 26.12.2011 को अपरान्ह 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, निविदा के साथ अमानति राशि रू. 5,000/– (पांच हजार रू. मात्र) बैंक ड्राफ्ट जो कुल सचिव गुरू घासीदास विश्वविद्यालय ,बिलासपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। पदकों की संख्या लगभग 100 होगी, वजन 20 ग्राम, आकार 1.5 इंच (डेढ़ इंच)। विस्तृत विवरण एवं शर्ते परीक्षा विभाग या वि.वि. वेब साईट www.ggu.ac.in में देखी जा सकती है।

कुलसचिव

स्वर्ण मंडित पदकों का विवरणः–

प्रत्येक पदक का आकार 1.5 इंच (डेढ़ इंच) , वजन 20 ग्राम जिस पर एक तरफ विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह (मोनों) तथा दुसरी तरफ दानदाता/पदक धारक का नाम एवं अन्य विवरण सूची अनुसार अंकित करना होगा, जो कि प्रेजेन्टेशन केश एवं पौन मीटर फीते के साथ प्रदान करना होगा।

1. शुद्ध रजत पदक (20 ग्राम) दर अंकित करें।
2. शुद्ध स्वर्ण मंडित रजत पदक (20 ग्राम) दर अंकित करें।
3. प्रति ग्राम चांदी एवं प्रति ग्राम स्वर्ण की पृथक–पृथक एवं मिश्रण की दर अंकित करें।

स्वर्ण मंडित पदक प्रदाय की शर्ते निम्नानुसार है :–

01. अनुमानित पदकों की संख्या लगभग .... नग होगी।
02. केवल पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक विश्वविद्यालय कार्यालय में प्राप्त मुहर बंद लिफाफे में (निविदा) ही स्वीकार्य होंगे।
03. मुहर बंद लिफाफे के उपर पदक हेतु निविदा अंकित करना अनिवार्य होगा।
04. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
05. प्रत्येक स्वर्ण मंडित/स्वर्ण मिश्रित पदक में मिलाई गई रजत एवं स्वर्ण की मात्रा अलग–अलग दर्शाते हुए वचन बद्धता का यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके द्वारा बताई गई मात्रा में स्वर्ण एवं रजत की मात्रा न होने पर विश्वविद्यालय को हुई हानि की भरपाई करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायकर्ता फर्म की होगी।
06. उक्त दरों के अतिरिक्त यदि प्रदाय की अन्य शर्ते हो तो प्रदायकर्ता निविदा में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
07. तैयार किये गये पदक, प्रेजेन्टेशन केश एवं फीते के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय में स्वयं के व्यय से आदेश में दर्शायी गई तिथि एवं समय पर पहुँचाकर अपरान्ह 4.00 बजे अनिवार्य रूप से देना होगा।
08. पदक निर्माण /प्रदाय के संबंध में एवं अन्य शर्तो के संबंध में प्रदायकर्ता विश्वविद्यालय कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
09. विश्वविद्यालय हित में बिना कारण बताये प्राप्त निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कुलपति, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के पास सुरक्षित रहेगा।